uxj ifj"kn lqUnjuxj] ftyk e.Mh fgekpy izns'k ds ys[kksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnuA

vof/k 04@2007 ls 03@2011

Hkkx&,d

iSjk 1 ¼d½ izkjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vads{k.kk/khu vof/k ds nkSjku fuEuof.kZr iz/kku o dk;Zdkjh vf/kdkjh uxj ifj"kn lqUnjuxj esa rSukr Fks %&

iz/kku %&

Øe la[;k	iz/kku dk uke	rSukrh dh vof/k
1	श्री हरेन्द्र सैन	18.01.2006 से 10.06.2008
2	श्री हुस्न लाल शर्मा	11.08.2008 से 19.01.2011
3	श्रीमति गिरिजा गौतम	20.01.2011 से अब तक

dk;Zdkjh vf/kdkjh %&

1	श्री कन्हैया राम ठाकुर	03.11.2005 से 15.06.2007
2	श्री किषोरी लाल ठाकुर	05.07.2007 से 24.12.2009
3	श्रीमति उर्वषी वालिया	24.12.2008 से 31.03.2011

¼[k½ uxj ifj"kn lqUnjuxj] ftyk e.Mh fgekpy izns'k ds ys[kk vof/k 04@07 ls 03@2011 rd vads{k.k esa ikbZ xbZ vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkjA

iSjk la[;k	vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj	jkf'k ¼yk[kksa esa½
पैरा 4(i से iii)	रोकड़ बही का मासिक समाधान न करन अनुदानों व अन्य आयों को न दर्षाने व प्रारम्भिक व अन्तिम शेषों को न दर्षाने के कारण करोड़ों का अन्तर	34.51
पैरा 10	गलत जोड़ दर्षाकर संषोधित वेतनमान की बकाया राषि का अधिक भुगतान	3.10
पैरा 11, 11.1	पैंषन का अधिक भुगतान	0.89
पैरा 13	परिषद द्वारा राषि का अनियमित व्यय	4.50
पैरा 14	अनुदान की राषि का उपयोग अन्य उद्देष्य पर करने के कारण अनियमित व्यय	3.00
पैरा 15	मैं0 नरेष स्टील फर्नीचर सुन्दरनगर को फर्नीचर की खरीद पर अधिक भुगतान	0.32
पैरा 17	ठेकेदार से 100 बोरी सीमेन्ट की लागत राषि की वसूली न करना	0.36
पैरा 17(i)	अनुबन्ध की धारा 3 के अनुसार Rescind work व अन्य सामान के मुल्य की वसूली ठेकेदार से न करना	15.90

¼x½ xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट 'अ'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

नगर परिषद सुन्दरनगर के लेखाओं अवधि 04/07 से 03/11 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री चन्द्रेष हाण्डा, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 17.01.2011 से 16.07.2011 तक सुन्दरनगर में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए क्रमषः माह 03/08, 03/09, 05/09 व 03/11 तथा माह 04/07, 03/09, 11/09 व 08/10 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैराग्राफों में दिखाया गया। आगामी पैराग्राफों में दर्षाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाया गया

यहां पर, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किए गए हैं। परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 ys[kk ijh{kk 'kqYd %&

नगर परिषद सुन्दरनगर के लेखाओं अवधि 04/07 से 03/11 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹74,400/– बनता हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

श्री चन्द्रेष हाण्डा, अनुभाग अधिकारी 124 x 600 = ₹74,400/-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सुन्दरनगर को, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्याः फिन(एल0ए0)(एम0डी)/491, दिनांक 05.07.2011 के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राषि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, षिमला–9 को भेजने का अनुरोध किया गया। परिषद द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राषि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट संख्याः 220652, दिनांक 18.07.2011 ₹74,400/– द्वारा किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr %&

रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

o"kZ	2007&08	2008&09	2009&10	2010&11
प्रारम्भिक शेष (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार)	42,15,332.97	1,53,42,552.97	3,08,06,368.97	3,92,22,020.97
आय	2,98,16,160.00	3,70,34,520.00	3,59,16,629.00	2,60,92,835.00
dqy	3]40]31]492-97	5]23]77]072-97	6]67]07]997-97	6]53]14]855-97
व्यय	1,86,88,940.00	2,15,70,704.00	2,74,85,977.00	3,87,93,518.00
vUr 'ks"k	1]53]42]552-97	3]08]06]368-97	3]92]22]020-97	2]65]21]337-97

4-1 lkof/k tek %&

परिषद के खातों में दिनांक 31.03.11 तक निम्न विवरणानुसार ₹13,27,282.00 सावधि जमा में निवेषित थे।

Ø0 l0	cSd dk uke	lkof/k tek [kkrk l0	fnukd	jkf'k	vof/k	C;kt nj	ifjiDork fnukd
1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	941881	03.08.09	4,82,320	2 वर्ष	7.25%	03.08.11
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	684670	03.08.08	475301	3 वर्ष	7.25%	03.08.11
3	स्टेट बैंक सुन्दरनगर	935201	03.08.07	313329	4 वर्ष	9.5%	03.08.11
4	सैन्ट्रल बैंक सुन्दरनगर	40965	11.02.11	56332	2 वर्ष 11 मास	8.25%	11.12.13
			;ksx	₹13]27]282			

4-2 fnukad 31-03-11 dks cSadks dk vfUre 'ks"k fuEu izdkj ls gS%&

Ø0 l0	lqUnjuxj fLFkr cSad dk uke	[kkrk la[;k	31-03-11 dks vfUre 'ks"k jkf'k ¼₹½
1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55076225576	29,50,989.10
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	65051846314	70,87,515.00
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55076225939	67,72,366.54
4	ओ0बी0सी0 बैंक	51452191002228	11,54,696.00
5	पंजाब नैषनल बैंक	3034000100034271	1,23,00,123.83
6	पंजाब नैषनल बैंक	3034000100069763	16,36,689.00
7	सैन्ट्रल बैंक	146970779	26,303.00
8	यूनियन बैंक	60472010000637	11,63,125.00
9	स्टेट कॉपरेटिव बैंक	3250105274	19,47,207.32
10	पी0एल0ए0 ट्रेजरी	–	5,846.00
11	बैंक ऑफ बढ़ोदा	33550100000717	34,36,300.00
		dqy	₹3]84]81]160-79
		mijksDr ^[k** esa nf'kZr fuos'k jkf'k	₹13]27]282-00
		dqy jkf'k	₹3]98]08]442-79

4-3 cSad lek/kku foojf.khcSad lek/kku foojf.kh %&

दिनांक 31.03.11 तक रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष 2]65]21]337-97

जमा (+) राषियां जो बैंक में जमा थी लेकिन रोकड़ बही में दर्ज न थी

Ø0 l0	cSad dk uke	fnukad	jkf'k	fVIi.kh

1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता सं0 5939	26.03.11	46,17,973	—
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता सं0 5939	15.03.11	34,36,300	—
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता सं0 5939	07.02.11	5,73,329	—
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता सं0 5939	08.09.10	1,20,159	—
5	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता सं0 5939	27.09.10	1,500	—
6	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता सं0 5939	31.12.10	90,580	—
7	स्टेट बैंक आफ पटियाला खाता संख्याः 5576	31.12.10	66,052	—
8	सैन्ट्रल बैंक खाता सं0 70779	31.11.10	454	ब्याज की राषि
9	हि0प्र. स्टेट को—ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 5274	13.08.10	10,481	किराया राषि
10	हि0प्र. स्टेट को—ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 5274	14.08.10	10,481	किराया राषि
11	हि0प्र. स्टेट को—ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 5274	07.10.10	10,481	किराया राषि
12	हि0प्र. स्टेट को—ऑपरेटिव बैंक खाता	08.11.10	10,481	किराया राषि

	सं0 5274			
13	हि0प्र. स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 5274	08.12.10	10,481	किराया राषि
14	हि0प्र. स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 5274	06.01.11	10,481	किराया राषि
15	हि0प्र. स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 5274	05.02.11	10,481	किराया राषि
16	हि0प्र. स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 5274	07.03.11	10,481	किराया राषि
17	हि0प्र. स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 5274	30.09.10	32,002	–
18	हि0प्र. स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 5274	29.11.10	182	–
19	हि0प्र. स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक खाता सं0 5274	31.03.11	32,915	–
20	पी0एन0बी0 बैंक खाता सं0 69763	06.09.09	35,000	–
21	पी0एन0बी0 बैंक खाता सं0 69763	04.03.10	34,510	–
22	पी0एन0बी0 बैंक खाता	02.09.10	28,699	–

	सं0 69763				
23	पी0एन0बी0 बैंक खाता सं0 69763	04.03.11	28,232	–	
24	पी0एन0बी0 बैंक खाता सं0 34271	06.09.09	1,82,648	–	
25	पी0एन0बी0 बैंक खाता सं0 34271	23.03.10	1,75,590	–	
26	पी0एन0बी0 बैंक खाता सं0 34271	02.09.10	2,09,957	–	
27	यूनियन बैंक खाता सं0 637	05.02.10	40,688	–	
28	यूनियन बैंक खाता सं0 637	06.08.10	25,205	–	
29	यूनियन बैंक खाता सं0 637	04.02.11	20,154	–	¼$½ 98]35]977

(–) बैंक द्वारा दर्षाया गया भुगतान जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया

1	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता सं0 5939	27.09.10	6	
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता सं0 5939	27.09.10	56	¼&½ 62

; kx	₹3]63]57]252-97
दिनांक 31.03.11 तक पैरा 4.2 के अनुसार विभिन्न बैंकों में कुल जमा राषि	₹3]98]08]442.79
रोकड़ बही व बैंक खातों में शेष राषि का अन्तर	₹34]51]189-82

अतः रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31.03.11 को पाए गए अन्तर की राषि ₹34,51,189.82 का मिलान, परिषद अपने स्तर पर करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

5 vLFkkbZ vfxze ¼600 ckjh lheUV dk de izkIr gkuk½ %&

अंकेक्षण अवधि के अर्न्तगत सीमेन्ट की सप्लाई हेतु विभिन्न अग्रिमों का भुगतान हिमाचल प्रदेष राज्य सीविल सप्लाई कार्पोरेषन षिमला को किया गया लेकिन अग्रिमों का न तो अग्रिम रजिस्टर तैयार किया गया और न ही सीमेन्ट प्राप्ति के बाद समायोजन लेखे तैयार किए गए। जाँच में पाया गया कि कार्पोरेषन को सीमेन्ट क्रय हेतु निम्न भुगतान किया लेकिन सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार 30 मि0टन सीमेन्ट कम प्राप्त किया गया।

Ø0 l0	fnukad	jkf'k ¼₹½	lheUV eaxok;k	lheUV izkIr gqvk	vUrj
1	27.11.06	2,82,361	100 M.T.	90 M.T.	10 M.T.
2	24.01.07	2,82,361	100 M.T.	90 M.T.	10 M.T.
3	10.04.07	2,56,692	90 M.T.	90 M.T.	-
4	26.06.07	2,85,219	100 M.T.	90 M.T.	10 M.T.
				Total	**30 M.T.**

अतः उपरोक्त अग्रिम लेखों का समायोजन व कार्पोरेषन के साथ समाधान न होने के कारण 30 M.T. सीमेन्ट (600 बैग) का कोई लेखा जोखा अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः यह मामला नागरिक आपूर्ति निगम से उठाया जाए तथा इसके परिणामों से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिष्चित करें।

6 vuqnku %&

नगर परिषद लेखों में 31.03.2007 को अनुदान की शेष राषि व अवधि 04/2007 से 03/2011 के दौरान प्राप्त अनुदान राषियों व उनमें से किए गए व्यय तथा दिनांक 31.03.2011 को अनुदानों के शेष राषि की स्थिति परिषिष्ट ''ए'' से ''इ'' तक में दर्षाई गई है।

6-1 vuqnkuksa dh jkf'k ₹224-71 yk[k fnukad 31-03-11 rd O;; gsrq 'ks"k %&

परिशिष्ट ''ए'' से ''इ'' द्वारा दर्षाए गए अनुदानों के विवरणानुसार दिनांक 31.03.11 तक परिषद के खाते में राषि ₹2,24,71,415 व्यय हेतु शेष थी। इस राषि में वर्ष 2010–11 से पूर्व वर्षों में प्राप्त अनुदानों की शेष राषि भी सम्मिलित है। अतः परिषद वर्ष 2010–11 से पूर्व वर्षों की राषियों

को उपयोग करने से पहले सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिष्चित करें। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

6-2 vu|nku jkf’k ₹101-41 yk[k dk vukf/kd`r 0;; djuk %&

परिषद द्वारा उपलब्ध अनुदानों की विवरणी (परिषिष्ट ''ए'' से ''डी'') के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.03.11 तक अनुदानों की राषि ₹1,01,40,692 का व्यय अनुदान राषि स्वीकृत करने वाले अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किया गया। अनुदानों के उपयोग नियमों अनुसार प्रत्येक अनुदान की राषि को अनुदान प्राप्ति से एक वर्ष के भीतर व्यय करना होता है। तथा व्यय हेतु निर्धारित अवधि के उपरान्त अनुदान स्वीकृत करने वाले विभागों की पूर्व स्वीकृति से ही शेष राषि का उपयोग किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में अनुदान स्वीकृत करने वाले विभागों की पूर्व स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः या तो सम्बन्धित स्वीकृति प्रस्तुत करें अन्यथा व्यय को सम्बन्धित विभाग की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

6-3 mi;kfxrk i|ek.k i=k| dk mfpr lUnHk| vfHkys[k e| u ik;k tkuk %&

परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व पाए गए अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्राप्त अनुदानों को व्यय किए जाने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है या नहीं। उचित अभिलेख न पाए जाने पर इस सम्बन्ध में आवष्यक जाँच अंकेक्षण में की जानी सम्भव न हो सकी। उपयोगिता प्रमाण पत्रों को दिए गए विवरणों में सन्दर्भित न किए जाने व आवष्यक अभिलेख तैयार न किए जाने वारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिष्चित किया जाए कि अनुदानों की समस्त राषि व्यय कर दिए जाने पर सम्बन्धित विभागों को आवष्यक प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं।

6-4 vu|nku jftLVj dk vu|lj.k u djuk %&

प्राप्त अनुदान राषियों की जाँच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा अनुदान लेखा रजिस्टर तैयार ही नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार इसे विहित प्रपत्र/रजिस्टर पर स्वतः स्पष्ट रूप से तैयार किया जाना था। इस महत्वपूर्ण रजिस्टर को स्वतः स्पष्ट रूप में तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इसे अविलम्ब तैयार किया जाना भी सुनिष्चित किया जाए। परिषद द्वारा अनुदान रजिस्टर तैयार न किए जाने से सम्बन्धित प्रकरण आवष्यक उचित कार्रवाई हेतु निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष के ध्यानार्थ भी लाया जाता है।

7 vk; %&

परिषद की विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय का ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ख'' पर दिया गया है।

7-1 rgctkjh %&

पहले रेहड़ी व फड़ी वाले दुकानदारों से मात्र ₹10/– प्रतिदिन एकत्र किए जाते थे जो प्रस्ताव संख्याः 250/2009 छ द्वारा रेहडी ₹15/– तथा खोखा ₹20/– प्रतिदिन निर्धारित किया गया। अंकेक्षण अवधि में औसत दैनिक आय इस प्रकार से थी :–

o"k	vklr ikfIr nfud
2007–2008	₹350/– से ₹400/–
2008–2009	₹400/–
2009–2010	₹500/– से ₹600/–
2010–2011	₹550/– से ₹600/–

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 तक औसत आय लगभग मात्र ₹600/– प्रतिदिन तक थी।

लेकिन परिषद द्वारा तहबाजारी एकत्र करने हेतु तैनात कर्मचारी को माह 07/11 से एकत्रीकरण से हटा कर अन्य को यह कार्य सौंपा गया तो दैनिक एकत्रीकरण, लगभग दो गुणा अर्थात ₹1200/– प्रतिदिन हो गया। आय में कर्मचारी के स्थानान्तरण के बाद आई अचानक वृद्धि का कारण परिषद स्पष्ट नहीं कर सकी। आय की सीटों में आठ दस वर्षों से एक ही व्यक्ति की तैनाती संदेह पैदा करती है। अतः आय में अचानक वृद्धि को मध्यनजर रखते हुए गत वर्षों की तहबजारी आय की विभागीय जाँच की जाए और सुनिष्चित किया जाए कि पूर्व कर्मी कहीं किसी दुर्विनियोजन में संलिप्त तो नहीं है।

7-2 ekckby Vkojk ls LFkkiuk 'kYd %&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः एच0आई0एम0/टी0पी0/पी0जे0टी0/ए0जेड0आर0(वाल) 1 x 06/95 =8760 दिनांक 16.10.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क (इन्सटालेषन फीस) की एक मुष्त राषि ₹10,000/– प्रति टावर तथा वार्षिक शुल्क ₹5000/– प्रति टावर वसूल करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान चर्चा में बताया गया कि इस समय नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न मोबाईल प्रदाता कम्पनियो ंके लगभग 25 टावर लगे हुए हैं मगर जाँच में पाया गया

कि कुछेक कम्पनियों से ही हिमाचल प्रदेष सरकार की उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के अनुसार शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क हेतु न तो कोई मांग एंव एकत्रीकरण रजिस्टर खोला गया है न ही कोई रजिस्टर तैयार किया गया है जिसे जाँच कर समस्त कम्पनियों से बकाये का निर्धारण किया जा सके। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने तथा उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के अनुसार निर्धारित शुल्क की वसूली न करके सरकारी आदेषों की अवहेलना करने का औचित्य उपरोक्त अधिसूचना के दृष्टिगत किया जाए तथा इस से संस्था को हुई हानि का दायित्व निर्धारण कर के दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

8 i’kku ,o xzsP;qfV fuf/k %&

निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्याः यू0डी0–II(बी(10)2/2000–16394–16420, दिनांक 20.12.2003 द्वारा नगर परिषद के स्वीकृत पदों के अधिकतम वेतनमान का 12% व 5% क्रमषः पैंषन व ग्रेच्यूटि तथा कुल बजट का 1% प्रषासनिक प्रभार के रूप में काटकर पैंषन एवं ग्रेच्यूटि निधि में जमा करवाया गया था। अधिकतम वेतनमान का मात्र 17% प्रतिमाह लगभग ₹1.50 लाख को खाता संख्याः 0001700 ओ0बी0सी0 बैंक में हस्तांतरित किया जा रहा था। इस बैंक खाते का लेनदेन न तो मुख्य रोकड़ बही द्वारा किया गया था और न ही इस खाते से सम्बन्धित अलग रोकड़ बही तैयार की गई थी। जबकि इसी खाते से चैक काटकर पैंषनरों को प्रतिमाह भुगतान किया गया था।

इसके अतिरिक्त इक्टठी राषि भी इस खाते में हस्तांतरित की गई थी बैंक से अर्जित ब्याज की प्रविष्टि भी किसी रोकड़ बही में नहीं पाई गई।

इस खाते का नियन्त्रण तुरन्त मुख्य रोकड़ बही में किया जाए ताकि सम्बन्धित वाऊचर इत्यादि भी मुख्य वाऊचर नस्ति में रखे जा सके। व ब्याज इत्यादि की प्रविष्टि भी मुख्य रोकड़ बही में की जा सके। दिनांक 22.02.11 तक इस खाते में ₹6,19,405/– शेष थे।

इसी प्रकार प्रतिभूति की राषि भी खाता संख्याः 51452010000970 ओ0बी0सी0 बैंक से संचालित है व इसकी रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती और न ही अलग रोकड़ बही है। इस खाते का नियन्त्रण भी उपरोक्त अनुसार मुख्य रोकड़ बही में किया जाए। इस खाते में 31.03.11 तक ₹17,63,357/– शेष थे।

8-1 i’kku ,o xzsP;qVh dk ys[kkvksa dk j[k&j[kko %&

परिषद द्वारा पैन्षन एवं ग्रेच्यूटि निधि की प्रविष्टि लैजरों में अलग कॉलम खोलकर कर्मचारियों के खाते में कर रही है जो उचित प्रतीत नहीं होती तथा सामान्य भविष्य निधि खाते व

सी0पी0एफ0 खाते भी एक ही लैजर में प्रविष्टि किए जा रहे हैं। इन लैजरों को पृथक–पृथक किया जाए। कर्मचारी के स्थानान्तरण पर खाते बन्द न कर बैंक पास बुक को सम्बन्धित स्थानांतरित स्थान को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है।

9 ;k=k HkÙkk fcy dk nkgjk Hkqxrku %&

माह 05/08 के वाऊचर संख्याः 2, दिनांक 01.05.2008 (कुल राषि ₹6,74,200) के उप वाऊचर क्रमांक 12 द्वारा ₹340/– की राषि का भुगतान श्री किषोरी लाल कार्यकारी अधिकारी को बावत यात्रा भत्ता की देय राषि जिसका विवरण निम्न प्रकार से है किया गया।

tgk¡ ls		tgk¡ rd		nwjh	fdjk;k cl	nSfud HkÙkk	dqy ¼₹½
28.04.08	सुन्दरनगर 1 P.M	28.04.08	षिमला –	125 कि0मी0	92	–	92
		28.04.08	ठहराव	(म्यूनिसिपल कार्पोरेषन GEN-8 No. 6251, dated 29-04-08 ₹ 60)			60
29.04.08	षिमला 5 P.M	29.04.09	सुन्दरनगर 11 P.M	12 कि0मी0	92	96	188
						dqy	₹340

उपरोक्त अधिकारी द्वारा वाऊचर संख्याः 2, दिनांक 01.07.2008 (कुल राषि ₹6,78,466) के उप वाऊचर क्रमांक 19 द्वारा ₹698/– की राषि माह 04/08 से 06/08 तक के यात्रा भत्ता बिलों की प्राप्त की। जिसमें से माह 04/08 की यात्रा बिल प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार था।

tgk¡ ls		tgk¡ rd		cl fdjk;k ¼₹½	nSfud HkÙkk	dqy ¼₹½
29.04.08	सुन्दरनगर 5 A.M	29.04.08	षिमला 10 A.M	115	96	211

29.04.08	षिमला 5 P.M	29.04.08	सुन्दरनगर 10 P.M	115	–	115

d|y ₹326

अतः यात्रा भत्ता बिल के दोहरे भुगतान का मामला निदेषक, शहरी विकास विभाग षिमला हिमाचल प्रदेष के ध्यान में यथोचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

10 l’kksf/kr osrueku dh cdk;k jkf’k d fcyk e xyr tkM djus d dkj.k deZpkfj;k dk ₹3-10 yk[k dk vf/kd Hkqxrku ¼&

संशोधित वेतनमान की बकाया राषि के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि इन बिलों में योग की गलती के कारण कर्मचारियों को ₹3,10,439 की राषि के अधिक भुगतान का मामला पाया गया । इस राषि का विवरण निम्न प्रकार है :–

Ø0 l0	lo Jh@Jhefr ¼lok fuo`r deZpkjh½ ¼okÅpj 31 ls 41 ekg 08@10½	xyr ;kx ls Hkqxrku fd;k ¼₹½	okLrfod ;kx ¼₹½	vf/kd Hkqxrku ¼₹½
1	लक्ष्मण, बेलदार	13878	13658	220
2	सुरेष पाल, सफाई कर्मचारी	23040	8510	14530
3	शीला पत्नी देवी राम, बेलदार	34738	30748	3990
4	भीखम, चपड़ासी	28010	15129	12881
5	दुर्गा सपुत्र श्री जगदीष, बेलदार	34738	30748	3990
	¼dk;Zjr deZpkjh½			
6	परमा नन्द, चपड़ासी	33559	26939	6620
7	सुख राम, माली	31720	19941	11779
8	मुनी लाल, माली	33377	27181	6196
9	धमी सिंह पुत्र श्री चमारू, बेलदार	36428	31975	4453

10	धर्म सिंह पुत्र नानक, बेलदार	36428	31975	4453
11	चेतराम, बेलदार	36428	31975	4453
12	भादरू, बेलदार	36428	31975	4453
13	बालकृष्ण, बेलदार	36428	31975	4453
14	रूप लाल, बेलदार	34738	30748	3990
15	सत्यन, कैंटल पाऊंड, सहायक	37021	32512	4509
16	नागिन्द्र, पुस्तकालय सहायक	37021	32512	4509
17	नर्वदा, पुस्तकालय सहायक	37021	32512	4509
18	कान्ता, बेलदार	36428	31975	4453
19	राम सिंह, बेलदार	37021	32512	4509
20	वीरसैन, सफाई कर्मचारी	24312	2670	21642
21	रोषन, सफाई कर्मचारी	24312	2670	21642
22	जगरोषन, सफाई कर्मचारी	31720	19945	11775
23	सोहन वीर, सफाई कर्मचारी	28334	14210	14124
24	सोमवारी, सफाई कर्मचारी	28312	15131	13181
25	राजेन्द्र पाल, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509
26	सोम पाल, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509
27	कृष्ण पाल, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509
28	वीरेन्द्र, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509
29	शान्ती देवी, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509
30	रमेष, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509
31	कमला पत्नी श्री मुरारी, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509
32	कैला, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509

33	बसन्ती, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509
34	शान्ती, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509
35	तारा, सफाई कर्मचारी	37021	32512	4509
36	रेवती देवी, सफाई कर्मचारी	36428	31975	4453
37	मुरारी, सफाई कर्मचारी	36428	31975	4453
38	सुरेन्द्र, सफाई कर्मचारी	34778	30788	3990
39	वसाखी, सफाई कर्मचारी	34778	30788	3990
40	कमला पत्नी श्री सतराम, सफाई कर्मचारी	34778	30788	3990
41	सुन्दर सिंह, सफाई कर्मचारी	35391	34233	1158
42	चमन, सफाई कर्मचारी	34204	31609	2595
43	सुधीर, सफाई कर्मचारी	14761	14535	226
44	सन्तोष, सफाई कर्मचारी	14729	14503	226
45	चमन सपुत्र श्री सेंम सिंह, सफाई कर्मचारी	13060	12772	288
46	दिला राम, मेषन	55652	55538	114
47	परष राम, मेषन	55652	55538	114
48	राम सिंह, मेट	34637	30043	4594
49	इन्द्रु, बेलदार	36428	31975	4453
50	लाल सिंह, बेलदार	36428	31975	4453
51	दीना, बेलदार	36428	31975	4453
52	सुरेन्द्र, बेलदार	36428	31975	4453
53	बालक राम, बेलदार	34738	30748	3990
54	जय राम, बेलदार	34738	30748	3990

55	गन्नी, बेलदार	34738	30748	3990
56	फतेह सिंह, बेलदार	34738	30748	3990
57	देव राज, बेलदार	34342	32097	2245
58	उत्तम सिंह, बेलदार	14759	14533	226
59	रूप लाल पुत्र श्री धारी, बेलदार	14759	14533	226
60	मोरध्वज, बेलदार	14759	14533	226
61	रतन लाल, बेलदार	13878	13658	220
62	कृष्ण चन्द, बेलदार	13786	13566	220
63	सुन्दर सिंह, बेलदार	13878	13658	220
64	दुर्गा पुत्र श्री गणपत, बेलदार	13848	13628	220
65	कागदु, बेलदार	13878	13658	220
66	हेम सिंह, बेलदार	13878	13658	220
67	पीताम्बर, बेलदार	13848	13658	220
68	हुकम, बेलदार	13878	13658	220
69	तारा चन्द, बेलदार	13878	13658	220
70	काषी, बेलदार	13878	13658	220
71	ठाकुर दास, बेलदार	13878	13658	220
72	नारदु, बेलदार	13878	13658	220

dy vf/kd Hkxrku ₹3]10]439@&

उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/सेवा निवृत कर्मचारियों व पैंषनरों से ₹3,10,439 की राषि अविलम्ब वसूल के साथ–साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा चैक हस्ताक्षर करने से पहले बिलों की जाँच सुनिष्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त तृतिय श्रेणी कर्मचारियों को चूंकि अब तक सरकारी निर्देषानुसार समस्त बकाया राषियों का भुगतान नहीं हुआ है। निम्न कर्मचारियों सरकारी निर्देष जब भी प्राप्त हो तो भुगतान समय योग सही किया जाए।

Øe la[;k	deZpkjh dk uke@in	cdk;k jkf'k dk xyr ;ksx ¼₹½	lgh ;ksx ¼₹½
1	भुपिन्द्र, सैन्ट्री इंस्पैक्टर	96924	86021
2	राजेन्द्र गुलेरिया, कनिष्ठ अभियन्ता	141451	140916

11 iU'ku dh jkf'k ₹36]249 dk vf/kd Hkqxrku %&

श्रीमति बिमला पत्नी स्र्व0 श्री कर्मसिंह (र्स्वगवास 01.12.2000) को निदेषक, शहरी विकास के पत्र संख्याः यू0डी0एच0(बी)(10)409/2001–6685, दिनांक 04.06.2002 द्वारा 02.12.2000 से पारिवारिक पैंषन ₹2010/–तथा 7 वर्ष बाद साधारण पैन्षन ₹1310/– प्रति मास निर्धारित की गई। अतः पत्र द्वारा दिनांक 02.12.2007 से इन्हें ₹1310/– मूल पैन्षन जो संषोधित पैंषन में न्यूनतम ₹3500/– दी जानी थी। लेकिन पैन्षनर को दिनांक 02.12.2007 से ₹4543 मूल पैन्षन दी गई। अर्थात 02.12.2007 से इन्हें ₹4543 – ₹3500 = ₹843 प्रतिमाह मूल पैन्षन का अधिक भुगतान किया गया। अतः इन्हें माह 12/07 से 06/11 तक कुल 43 माह तक ₹843 प्रति माह कुल 843 x 43 = ₹36,249 मूल पैन्षन का अधिक भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त स्र्व0 श्री कर्मसिंह का पुत्र श्री सुन्दर को अनुकम्पा के आधार पर वर्ष 2002 से सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया लेकिन श्रीमति बिमला पत्नी सर्व0 श्री कर्मसिंह को नियमित रूप से पैन्षन के साथ मंहगाई रीलिफ का भुगतान भी किया गया है जो कि अदेय है। श्रीमति बिमला पैंषनर से कुल मूल पैन्षन ₹36,249 अधिक भुगतान तथा वर्ष 2002 से अब तक मंहगाई रीलिफ की वसूली की जानी सुनिष्चित करें। इसी प्रकार के अन्य मामलों की जाँच परिषद अपने स्तर पर करने के उपरान्त उचित कार्यवाही करें

11-1 iU'ku dh jkf'k ₹52]965@& dk vf/kd Hkqxrku %&

श्री सुरेष पाल, सफाई कर्मचारी दिनांक 31.08.2009 को सेवा निवृत हुए। इन्हें निदेषक, शहरी विकास षिमला के पत्रांक यू0डी0एच0(बी)(10)–979/09, दिनांक 24.09.09 द्वारा असंषोधित वेतनमान में ₹6110/– मूल पैन्षन तथा कम्यूटिड पैन्षन (–)₹2444/– स्वीकृत हुई। असंषोधित वेतनमान में मंहगाई वेतन(D.P) इत्यादि सम्मिलित है। उपरोक्त सेवानिवृत कर्मचारी की संषोधित पैन्षन 01.09.2009 से कार्याकारी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर असंषोधित पैन्षन ₹6110/– में

दोबारा मंहगाइ वेतन (D.P) इत्यादि जोडकर टेबल अनुसार मूल पैन्षन ₹9207/– प्रति मास निर्धारित की गई। जबकि जो कर्मचारी 01.01.2006 के बाद सेवानिवृत हुए उन्हें संषोधित वेतन मान में निर्धारित कर संषोधित वेतन के आधार पर पैन्षन निदेषालय स्तर पर स्वीकृत की जानी अपेक्षित थी।

वेतन संषोधन के समय सेवानिवृत कर्मचारी ₹6600 असंषोधित वेतन पर था इसी आधार पर परिषद द्वारा इनका संषोधित वेतन इस प्रकार से निर्धारित किया गया।

	ely oru $ xM i
01.01.2006	12280 + 1400
01.01.2007	12700 + 1400
01.01.2008	13110 + 1400
01.01.2009	13570 + 1400 = ₹14970

अतः इन्हें ₹14970 ÷ 2 = ₹7485 मासिक पैन्षन निर्धारित होनी चाहिए। इस प्रकार इन्हें ₹9207 – ₹7485 = ₹1712 प्रतिमाह मूल पैन्षन व मंहगाई रिलीफ का 01.09.09 से 30.06.11 तक अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से है।

ekg	vf/kd ely i\U'ku ¼₹½	egxkbZ jhfyQ	dqy ¼₹½	dqy ekg	vf/kd Hkqxrku ¼₹½
09/09 से 12/09	1712	462	2174	4	8696
01/10 से 06/10	1712	599	2311	6	13867
07/10 से 12/10	1712	770	2482	6	14892
01/11 से 06/11	1712	873	2585	6	15510
				dqy	₹52]965

अतः सेवानिवृति कर्मचारी को ₹52,965 का भुगतान अधिक किया गया इस राषि को अविलम्ब वसूल कर नगर परिषद के खाते में जमा करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त जिन पैन्षनरों की सेवानिवृति 01.01.2006 के बाद हुइ है उन पैन्षनरों की पैन्षन निदेषालय स्तर पर निर्धारित/स्वीकृत किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

श्रीमति कमला लिपिक व श्री हरनाम दास चोकीदार सेवानिवृत की पैन्षन भी असंषोधित वेतनमान में निर्धारित थी जो कार्याकारी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर संषोधित की है। इन कर्मचारियों का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार के समस्त पैन्षनरों की पैन्षन निदेषालय स्तर पर निर्धारण/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाए।

12 oru dh jkf'k dk nksgjk Hkqxrku ₹9]234@&

श्री वीरेन्द्र, सफाई कर्मचारी को चैक संख्याः 160048, दिनांक 01.10.2010 राषि ₹9,36,646 के उप वाऊचर संख्याः 6 द्वारा ₹9,234 के वेतन व भत्तों की राषि का भुगतान किया गया। लेकिन उन्हें चैक संख्याः 160049, दिनांक 01.10.10 ₹9,234 का अलग भुगतान कर माह 09/10 के वेतन व भत्तों का दोहरा भुगतान किया गया। हालांकि यह ₹9,234 की राषि को अंकेक्षण के दौरान ही जी–8 संख्याः 5510/56, दिनांक 12.07.11 को वसूल कर लिया गया। आहरण एवं वितरण अधिकारी इस प्रकार के दुर्विनियोजनों की पुनःवृति रोकने हेतु ठोस कदम उठाऐं।

13 ifj"kn }kjk ₹4- 50 yk[k dk vfu;fer 0;; %&

सरकार के निर्देषानुसार परिषद को सामुदायिक भवन संस्कृत महाविद्यालय सुन्दरनगर को सौंपने के एवज़ में ₹19.18 लाख प्राप्त हुए। लेकिन परिषद के प्रस्ताव संख्याः 269/2009, दिनांक 24.04.2009 द्वारा कुल प्राप्त राषि में से ₹4.50 लाख चैक संख्याः 5823546, दिनांक 20.01.10 द्वारा प्रधान, सनातन धर्म मन्दिर को सराय हेतु दान में दिए गए। इस भुगतान की राषि को सरकार की स्वीकृति से नियमित कराया जाए। अन्यथा जिम्मेदारी निर्धारित कर राषि वसूल कर परिषद के खाते में जमा करवाई जाए।

14 ₹3-00 yk[k ds vuqnku dh jkf'k dk mi;ksx vU; mís';ks ij djus ds dkj.k vfu;fer 0;; %&

टुरिज्म विभाग से ₹3.00 लाख का अनुदान जिलाधीष मण्डी के माध्यम से राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे पर चार शौचालयों के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ था इस राषि को प्रस्ताव संख्याः 114, दिनांक 28.04.2007 द्वारा मूल उद्देष्य में फेरबदल कर निम्न कार्यो पर खर्च करने हेतु आदेष पारित किया गया।

Øe l[;k	dk;l dk uke	jkf'k ¼₹½
1	आर्वोरिक्लचर व गार्डनिंग आफ शुकदेव वाटिका	50,000
2	पालीहाऊस शुकदेव वाटिका में	1,00,000
3	हास्पिटल चॉक में रेन शैल्अर	50,000
4	शुकदेव वाटिका में सड़क व नालियों का निर्माण	1,00,000

अनुदान उद्देष्य का फेरवाल अनुदान प्रदान कर्त्ता विभाग द्वारा ही किया जा सकता था। अतः अनुदान उद्देष्यों में परिवर्तन हेतु सम्बन्धित विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 e0 uj's'k LVhy Quhpj lUnjuxj dk Quhpj dh [kjhn e ₹31935 dh jkf'k dk vf/kd Hkxrku djuk %&

okÅpj l[;k 39 o 40 ekg 02@10 ₹27]131 o ₹1]04]648

उपरोक्त वाऊचरों द्वारा मैं0 नरेष स्टील फर्नीचर, सुन्दरनगर से छः स्टील अलमारियां व दो सैण्टर टेबलों की खरीद दर संविदा के आधार पर की गई। इसी फर्म का अन्य मदों की भी दर संविदा थी। लेकिन दर संविदा मदों को दरकिनार कर कुटेषनों की औपचारिकता कर बहुत मंहगी दरों पर फर्नीचर की खरीद की गई। जिसका विवरण इस प्रकार से है :–

Quhpj dk fooj.k	ek=k@nj ifr	bl h Qe dh nj lfonk nj ¼ifr½	vf/kd Hkxrku ¼₹½
सोफा सैट (5 सीटर डुरियन)	1 @ 16500	9500	7000
कान्फैंस चेयर	12 @ 1700	1400	12 x 300 = 3600
कार्यालय मेज 3' x 6'	2 @ 11000	3900	2 x 7100 = 14200
कार्यालय मेज 2' x 4'	4 @ 2400	2000	4 x 400 = 1600
रिवाल्विंग चेयर	1 @ 3800	2000	1800
रिकॉर्ड रैक	3 @ 2100	855	3 x 1245 = 3735
		dy	**₹31,935**

उपरोक्त फर्म द्वारा उचित बिल प्रस्तुत न कर प्रोफोर्मा इन्वाईस जिसमें क्रमांक 593 व 592 हस्तलिखित था प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया। जिसमें परिषद द्वारा फर्म को 12½% वैट का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार था :–

	jkf'k	oV	dy
इन्वाईस संख्याः 593	25200	3150	28350
इन्वाईस संख्याः 592	97200	12150	109350
	dy oV Hkxrku	₹15]300	

फर्म द्वारा वैट की राषि सरकारी कोष में जमा करवा दी गई अथवा नहीं इस बारे में कराधान विभाग से प्रमाण पत्र लिया जाए चूक की दषा में ₹15,300 की राषि फर्म अथवा दोषी अधिकारी से वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त संविदा दरों से अधिक दरों पर फर्नीचर के क्रय में ₹31,935 के अधिक भुगतान की जिम्मेदारी निर्धारित कर राषि की वसूली की जाए।

16 lkfyM oLV icU/k grq [kjhn e vfu;ferrk, %&

शहर में कुड़ा कचरा को इक्ट्ठा करने व उठाने हेतु की गई। खरीद में निम्न अनियमितताओं को पाया गया।

¼i½ okÅpj l[;k5 62] ekg 08@10 ,d dlo plhl ₹6]95]000@&

एक कैव चैसीस की खरीद मैं0 सांई मोटरज़ मण्डी से ₹6.95 लाख में की गई। इस खरीद को निदेषक, जनरल स्टोर एवं डिस्पोजल द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाना अपेक्षित था।

¼ii½ okÅpj l[;k 47] ekg 10@10 ₹12]17]400@&

मैं0 टैक्नीक फ्रैवीकेषन कुराली से निम्न खरीद/फैब्रीकेषन की गई :–

¼d½ उपरोक्त दर्षित चैसीस को फैब्रीकेट कर गारवेज कम्पैक्टर तैयार किया गया और फर्म को ₹4,20,000 + 57,750 (वैट) अदा किया गया।

¼[k½ उपरोक्त फर्म से 40 एम0एस0 रिफ्यूज कुलैक्टर ₹19,500 प्रति (0-60 cum) कुल ₹7,80,000 + 1,07,250 वैट में खरीद किए गए।

उपरोक्त खरीद से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिलाधीष मण्डी से अनुरोध किया था जो उन्होंने प्रदान ही नहीं की। अतः यह खरीद कार्याकारी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर बिना किसी प्राक्कलन व तकनीकी तथा प्रषासनिक स्वीकृति के की गई।

इसके अतिरिक्त फर्म को वैट के रूप में ₹57,750 + 1,07,250 = कुल ₹1.65 लाख की अदायगी की गई। इस अदायगी हेतु आबकारी एवं कराधान विभाग से फार्म संख्याः 26 भी प्राप्त नहीं किया गया जिससे पुष्टि हो सके कि वैट की राषि सरकारी खजाने में जमा हो गई है या नहीं। अतः उपरोक्त खरीद की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना सुनिष्चित करें अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 100 cksjh lheUV dh ykxr jkf'k ₹36]000 dh olwyh u djuk ¼&

कार्य का नाम	रिटेनिंग वॉल एट गारवेज डपिंग स्टेषन
ठेकेदार का नाम	यादविन्द्र शर्मा
माप पुस्तिका	संख्या 109, पृष्ठ 34 (दुसरा एवं अन्तिम बिल)
अनुबन्ध संख्याः	6043, दिनांक 24.11.09 (₹6,86,348)

उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार को निम्न सीमेन्ट जारी किया गया।

ekx i= l[;k	lheUV cksjh
1/16	200
3/16	200
4/16	200
7/16	275
1/17	100
dqy	975 cSx

दुसरे एवं अन्तिम बिल तक ठेकेदार द्वारा 875 बैग सीमेन्ट का कार्य किया गया जिसकी वसूली माप पुस्तिका के पृष्ठ 34 पर की गई। जबकि मांग पत्र संख्याः 1/17 द्वारा उपरोक्त कार्य को जारी सीमेन्ट 100 बैग माप पुस्तिका में नहीं दर्षाये गए थे और न ही कार्य समाप्ति पर स्टोर

को वापिस किए गए थे। अतः दोषी से पैनल दण्ड दर ₹360/– प्रति बोरी की दर से कुल राषि ₹36,000 की वसूली की जाए।

17-1 vuqcU/k dh /kkjk 3 d vuqlkj **Rescind work** d fy, ₹15-90 yk[k o vU; lkeku d eY; dh olwyh Bsdnkj ls u djuk %&

कार्य का नाम	शोपिंग काम्पलैक्स का निर्माण
ठेकेदार का नाम	श्री अनिल चौहान
अनुबन्ध संख्या	2004/2203–08, दिनांक 11.11.04
प्राक्कलन राषि	₹1,59,01,399/–
माप पुस्तिका	78/69 (छठवें बिल)

उपरोक्त निर्माण कार्य 1 वर्ष की अवधि में समाप्त किया जाना था लेकिन ठेकेदार द्वारा यह कार्य 5 वर्ष में ₹1.43 करोड़ तक का कार्य छठवें बिल तक कर छोड़ दिया। परिषद द्वारा पत्र संख्याः 5692–93, दिनांक 16.10.09 को कार्य Rescind कर दियां कार्य अनुबन्ध की धारा 3 अनुसार ठेकेदार से ₹15.90 लाख का दण्ड राषि वसूली योग्य थी। जिसे वसूलने व ठेकेदार का अन्तिम बिल बनाने हेतु परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त ठेकेदार के पास परिषद द्वारा निम्न सामान जारी किया गया था जिसकी वसूली भी की जानी शेष थी।

1.	सीमेन्ट	695 बैग
2.	स्टील 8mm	1.85 M.T
	12mm	0.11 M.T
	16mm	1.60 M.T
	20mm	0.716M.T

इसके अतिरिक्त छठे बिल तक ठेकेदार से ₹5,01,067 की राषि प्रतिभूति के रूप में काटी गई थी। जिसको जब्त करने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त कार्य बिल में उचित कार्यवाही करना सुनिष्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17-2 foKkiu Qe dk fcuk VsaMj dk;l vkcVu d dkj.k vufpr ykHk %&

कार्य का नाम	P/F Hording for Advertisement over various places of Municipal Area, Sunder Nagar

उपरोक्त कार्य हेतु दिनांक 23.10.09 को एक वर्ष की अवधि तक टैण्डर मंगवाए गए। विज्ञापन फर्मे ज्यादातर चण्डीगढ़ व बड़े शहरों में स्थित हैं लेकिन टैण्डर केवल गिरीराज में विज्ञापित किए गए। यह विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले व बड़े शहरों में ज्यादा बिकने वाले अखबारों में भी दिया जाना अपेक्षित था। चण्डीगढ़ की तीन फर्मों ने टैण्डर भरे व मैं0 सुपर पब्लिसिटी चण्डीगढ़ का टैण्डर ₹1,07,000 जमा अन्य टैक्स अधिक निकलां लेकिन Award में अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 16 माह कर दी गई। अर्थात फर्म राषि जमा करवा कर एक वर्ष के स्थान पर परिषद परिधि में 4 माह अतिरिक्त कुल 16 माह तक विभिन्न विज्ञापन हेतु इच्छुक कम्पनियों से पैसे एकत्र कर विज्ञापन के विभिन्न बोर्ड लगा सकती थी। Award में उपरोक्त फर्म को 31.03.11 तक परिषद क्षेत्र में समस्त विज्ञापन के बोर्ड लगाने के अधिकार दिए गए। इसके अतिरिक्त अगले वर्ष 2011–12 व 2012–13 हेतु इसी फर्म से एक अनुबन्ध करवाकर जिसमें ₹1,07,000 की राषि को 25% प्रति वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2011–12 हेतु उपरोक्त फर्म द्वारा ₹1,33,750 जमा टैक्स व वर्ष 2012–13 के लिए ₹1,67,188 जमा टैक्स की राषि को जमा करने के पश्चात विज्ञापन का अधिकार प्राप्त किया गया।

अतः एक वर्ष के टैण्डर की अवधि को वर्ष 2011–12 व 2012–13 में टैण्डर न करवा कर अनुबन्ध तैयार किया गया। वर्ष 2011–12 में टैण्डर न करवा कर अनुबन्ध तैयार कर फर्म को बिना टैण्डर ही कार्य मिल गया तथा वर्ष 2012–13 में भी मिलने वाला है। इस प्रकार के अनुबन्ध में Notice Inviting टैण्डर में कोई विवरण नहीं था।

अतः बिना टैण्डर के गलत अनुबन्ध तैयार कर विज्ञापन कम्पनी को अनुचित लाभ का मामला निदेषक, शहरी विकास षिमला के ध्यान में यथोचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

17-3 fctyh d lkeku dh [kjhn cktkjh eY; l vf/kd eY; ij dju d dkj.k ₹8490 dk vf/kd Hkxrku djuk %&

बिजली के सामान की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच से पता चला कि कुछ फर्मो को बाजार भाव से अधिक मूल्यों पर भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राषि का विवरण निम्न प्रकार था :–

okÅpj l[;k 33] fnukd 25-10-08 ₹51031 e0 t0d0 bySfDVªdy dh mfpr cktkj nj	okÅpj l[;k 31] fnukd 11@07 ₹46]320 e0 nhi VªfMx l vf/kd eY;k e [kjhn nj@ogh en	vUrj ifr en ¼₹½	dy vf/kd Hkxrku ¼₹½
टयूब 4000 @ 36.25 per	357 @ ₹41	4.75	1696

स्टीटर @ 6 per	150 @ ₹9.50	3.50	525
चौक 4000 @ 81.55 per	80 @ ₹100	18.45	1476
SVL 250v @ 425	25 @ ₹560	135	3376
तार 4mm @ 7.24 m	270 m @ ₹12	4.76	1285
टेप @ 7.90 per	60 @ ₹10	2.20	132
		d|y	₹8]490

अतः अधिक भुगतान की गई राषि ₹8,490 का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राषि की वसूली सम्बन्धित से करने के उपरान्त परिषद खाते में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए।

18 fofo/k %&

निम्नलिखित आवष्यक अभिलेखों का रख–रखाव सन्तोषजनक नहीं पाया गया इन अभिलेखों का रख–रखाव उचित प्रकार से शीघ्र किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाए। प्रतिपूर्ति दावा भुगतान रजिस्टर वर्गीकृत सार, टुल्स एवं प्लांट रजिस्टर, टी0ए0 चैक रजिस्टर, चल अचल सम्पति रजिस्टर, कम्पोजिषन ऑफ औफैंसिव रजिस्टर, ठेकेदार वही खाता, प्रतिभूति रजिस्टर, वेतन व पैन्षन स्थापना जाँच रजिस्टर।

परिषद में पड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। अतः सावधिक प्रत्यक्ष सत्यापन सुनिष्चित किया जाए।

19 y/kq vkifÙk fooj.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई।

20 fu"d"kZ %& लेखों में अत्याधिक सुधार की आवष्यकता है। वर्षों से लम्बित अंकेक्षण पैरों पर उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः परिषद लेखों के उचित रख–रखाव के साथ–साथ लम्बित अंकेक्षण पैरों पर उचित कार्यवाही करना सुनिष्चित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–9

पृष्ठांकन संख्याः V(46)2011–फिन(एल0ए0)खण्ड–1 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003

(2) निदेषक, शहरी विकास विभाग षिमला हिमाचल प्रदेष।

ifrtdr ¼& (3) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–9

¼vuqi dqekj ?kkx:½

lfjf'k"V ^v**

uxj ifj"kn lqUnjuxj] rglhy lqUnjuxj] ftyk e.Mh] fgekpy izns'k ds y{[kkvksa ds

vads{k.k ,oa fujh{k.k izfronu ds vfu.khZr iSjksa dh fLFkfr

vads{k.k izfronu vof/k 04@88 ls 03@89

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7(i)	अनिर्णीत

5	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 9	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13(ए)(i)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(ए)(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(ए)(iii)	अनिर्णीत
13	पैरा 13(बी)(i)	अनिर्णीत
14	पैरा 13(बी)(ii)	अनिर्णीत
15	पैरा 13(बी)(iii)	अनिर्णीत
16	पैरा 13(ई)(ii)	अनिर्णीत
17	पैरा 13(एफ)	अनिर्णीत
18	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
19	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
20	पैरा 14(सी)	अनिर्णीत
21	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत
22	पैरा 14(एफ)	अनिर्णीत
23	पैरा 14(जी)	अनिर्णीत
24	पैरा 14(एच)	अनिर्णीत
25	पैरा 19	अनिर्णीत
26	पैरा 22	अनिर्णीत
27	पैरा 23	अनिर्णीत

28	पैरा 24	अनिर्णीत
29	पैरा 25	अनिर्णीत
30	पैरा 26	अनिर्णीत
31	पैरा 27	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 04@89 l 03@90

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
8	पैरा 9	अनिर्णीत
9	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
10	पैरा 10(iii)	अनिर्णीत
11	पैरा 10(iv)	अनिर्णीत
12	पैरा 10(v)	अनिर्णीत
13	पैरा 10(viii)(ए)	अनिर्णीत
14	पैरा 10(viii)(बी)	अनिर्णीत
15	पैरा 10(x)	अनिर्णीत
16	पैरा 10(xii)	अनिर्णीत
17	पैरा 10(xii)(2)	अनिर्णीत
18	पैरा 10(xiii)(3)	अनिर्णीत

19	पैरा 10(xiv)	अनिर्णीत
20	पैरा 10(xv)	अनिर्णीत
21	पैरा 10(xvi)	अनिर्णीत
22	पैरा 10(xvii)	अनिर्णीत
23	पैरा 10(xx)	अनिर्णीत
24	पैरा 10(xxi)	अनिर्णीत
25	पैरा 10(xxii)	अनिर्णीत
26	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
27	पैरा 11(iii)	अनिर्णीत
28	पैरा 11(iv)	अनिर्णीत
29	पैरा 11(v)	अनिर्णीत
30	पैरा 11(vi)	अनिर्णीत
31	पैरा 11(vii)	अनिर्णीत
32	पैरा 11(viii)	अनिर्णीत
33	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
34	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
35	पैरा 12(iv)	अनिर्णीत
36	पैरा 12(xiii)	अनिर्णीत
37	पैरा 12(xv)	अनिर्णीत
38	पैरा 12(xvi)(2)	अनिर्णीत
39	पैरा 12(xvi)(3)	अनिर्णीत
40	पैरा 12(xvi)(4)	अनिर्णीत
41	पैरा 12(xviii)	अनिर्णीत

42	पैरा 16(i)	अनिर्णीत	

vd{k.k ifronu vof/k 04@90 l 03@91 rd

अवधि 04/09 से 03/91 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

vd{k.k ifronu vof/k 04@91 l 03@92 rd

अवधि 04/91 से 03/92 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

vd{k.k ifronu vof/k 04@92 l 03@93

1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 12(घ)	अनिर्णीत	(₹10,000/- adv. Sh. Jagdish Gupta Retd. E.O.)
5	पैरा 13(च)	अनिर्णीत	
6	पैरा 13(छ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 13(ज)	अनिर्णीत	
8	पैरा 13(झ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 13(ञ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 14(क)	अनिर्णीत	
11	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 14(ग)(i)	अनिर्णीत	
13	पैरा 14(ग)(ii)	अनिर्णीत	
14	पैरा 14(ग)(iii)	अनिर्णीत	
15	पैरा 14(ग)(iv)	अनिर्णीत	
16	पैरा 14(ग)(v)	अनिर्णीत	
17	पैरा 14(घ)	अनिर्णीत	

18	पैरा 14(ङ)	अनिर्णीत
19	पैरा 15	अनिर्णीत
20	पैरा 16	अनिर्णीत
21	पैरा 17	अनिर्णीत
22	पैरा 18	अनिर्णीत
23	पैरा 19	अनिर्णीत

vd{k.k ifrosnu vof/k 04@93 ls 03@96

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 15(i)(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 15(2)(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 15(2)(ii)	अनिर्णीत
10	पैरा 15(4)(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(6)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत
14	पैरा 15(12)(i)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(13)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(16)	अनिर्णीत

17	पैरा 15(17)	अनिर्णीत
18	पैरा 15(20)	अनिर्णीत
19	पैरा 15(21)	अनिर्णीत
20	पैरा 15(22)	अनिर्णीत
21	पैरा 15(25)	अनिर्णीत
22	पैरा 17	अनिर्णीत
23	पैरा 20	अनिर्णीत
24	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
25	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
26	पैरा 21(iii)	अनिर्णीत
27	पैरा 21(iv)	अनिर्णीत
28	पैरा 21(v)	अनिर्णीत
29	पैरा 21(vi)	अनिर्णीत
30	पैरा 21(vii)	अनिर्णीत
31	पैरा 21(viii)	अनिर्णीत
32	पैरा 21(x)	अनिर्णीत
33	पैरा 21(xi)	अनिर्णीत
34	पैरा 21(xii)	अनिर्णीत
35	पैरा 21(xiii)	अनिर्णीत
36	पैरा 21(xiv)	अनिर्णीत
37	पैरा 21(xv)	अनिर्णीत
38	पैरा 21(xvi)	अनिर्णीत
39	पैरा 22	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 04@96 ls 03@2002

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 13(ख)(3)	अनिर्णीत
6	पैरा 14	अनिर्णीत
7	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
8	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 19	अनिर्णीत
10	पैरा 20(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
13	पैरा 21(ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
15	पैरा 26	अनिर्णीत
16	पैरा 27(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 27(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 27(ग)	अनिर्णीत
19	पैरा 27(घ)	अनिर्णीत
20	पैरा 28(2)(क)	अनिर्णीत
21	पैरा 28(2)(ख)	अनिर्णीत
22	पैरा 28(6)	अनिर्णीत
23	पैरा 28(9)	अनिर्णीत

24	पैरा 28(15)	अनिर्णीत
25	पैरा 28(17)	अनिर्णीत
26	पैरा 28(19)	अनिर्णीत
27	पैरा 28(21)	अनिर्णीत
28	पैरा 29	अनिर्णीत
29	पैरा 30(1)	अनिर्णीत
30	पैरा 30(2)	अनिर्णीत
31	पैरा 30(10)	अनिर्णीत
32	पैरा 30(12)	अनिर्णीत
33	पैरा 30(13)	अनिर्णीत
34	पैरा 30(ए)	अनिर्णीत
35	पैरा 30(ए)(3)	अनिर्णीत
36	पैरा 31	अनिर्णीत
37	पैरा 35(2)	अनिर्णीत
38	पैरा 35(10)	अनिर्णीत
39	पैरा 35(11)(क)	अनिर्णीत
40	पैरा 35(11)(ख)	अनिर्णीत
41	पैरा 35(11)(ग)	अनिर्णीत
42	पैरा 35(11)(घ)	अनिर्णीत
43	पैरा 35(11)(ङ)	अनिर्णीत
44	पैरा 35(12)(क)	अनिर्णीत
45	पैरा 35(12)(ख)	अनिर्णीत
46	पैरा 35(13)(क)	अनिर्णीत

47	पैरा 35(13)(ख)	अनिर्णीत
48	पैरा 35(13)(ग)	अनिर्णीत
49	पैरा 35(13)(घ)	अनिर्णीत
50	पैरा 35(14)	अनिर्णीत
51	पैरा 35(15)	अनिर्णीत
52	पैरा 35(16)	अनिर्णीत
53	पैरा 35(17)	अनिर्णीत
54	पैरा 35(18)	अनिर्णीत
55	पैरा 35(19)	अनिर्णीत
56	पैरा 35(20)	अनिर्णीत
57	पैरा 35(21)	अनिर्णीत
58	पैरा 35(22)	अनिर्णीत
59	पैरा 36(2)	अनिर्णीत

उपरोक्त विभिन्न लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों में दर्षित अनिर्णीत पेरों के निपटारो हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया व प्रतिवदेन अंकेक्षण के समय प्रस्तुत ही नहीं किए गए। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अधियाचना संख्याः फिन(एल0ए0)एम0डी0/3–आर, दिनांक 11.04.2011 द्वारा व बार–बार मौखिक अनुरोध के बावजूद कार्यकारी अधिकारी गत अनिर्णीत पैरों के निरस्तीकरण हेतु उदासीन रहे।

vid{k.k ifronu vof/k 04@2002 l 03@2007

1	पैरा 4(i)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
2	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत	
4	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(v)	अनिर्णीत	

6	पैरा 4(vi)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(vii)	निर्णीत	(पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)9–25/95, दिनांक 09.04.01 द्वारा यह स्टाम्प डयूटी पर दो प्रतिषत है न की बिक्रय डीड पर)
8	पैरा 4(viii)	निर्णीत	(पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)9–25/95, दिनांक 09.04.01 द्वारा यह स्टाम्प डयूटी पर दो प्रतिषत है न की बिक्रय डीड पर)
9	पैरा 4(ix)	अनिर्णीत	(अब सिनेमा बन्द है)
10	पैरा 4(x)	अनिर्णीत	
11	पैरा 4(xi)	निर्णीत	(समस्त राषियां जमा थी जाँच के बाद समाप्त)
12	पैरा 4(xii)	अनिर्णीत	
13	पैरा 4(xiii)	अनिर्णीत	
14	पैरा 4(xiv)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित व प्रारम्भिक शेष माह 04/07 से सही ₹16,35,793 किया गया)
15	पैरा 4(xv)(क)	अनिर्णीत	
16	पैरा 4(xv)(ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	
18	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	
19	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत	
21	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
22	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
23	पैरा 6(iii)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जांचने के बाद)
24	पैरा 6(iv)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जांचने के बाद)
25	पैरा 6(v)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जांचने के बाद)
26	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत	

27	पैरा 6(vii)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जांचने के बाद)
28	पैरा 6(viii)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत	
30	पैरा 6(x)	अनिर्णीत	
31	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत	
32	पैरा 6(xii)	अनिर्णीत	
33	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत	
34	पैरा 6(xiv)	निर्णीत	(यह राषि सूनामी पीड़ितों को कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन कटवाकर ड्राफ्ट द्वारा भेजी गई परिषिद का व्यय नहीं है)
35	पैरा 6(xv)	अनिर्णीत	
36	पैरा 6(xvi)	अनिर्णीत	
37	पैरा 6(xvii)	अनिर्णीत	
38	पैरा 6(xix)	निर्णीत	(अधिकारी ने Parents in law की option चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु दी है जो नियमानुसार है)
39	पैरा 6(xx)	अनिर्णीत	
40	पैरा 6(xxi)	अनिर्णीत	
41	पैरा 6(xxii)	अनिर्णीत	
42	पैरा 6(xxiii)	अनिर्णीत	
43	पैरा 6(xxiv)	अनिर्णीत	
44	पैरा 6(xxv)	अनिर्णीत	
45	पैरा 6(xxvi)	अनिर्णीत	
46	पैरा 6(xxvii)	अनिर्णीत	
47	पैरा 6(xxviii)	निर्णीत	(अभिलेख जाँच लिया)
48	पैरा 6(xxix)	अनिर्णीत	
49	पैरा 6(xxx)	अनिर्णीत	

50	पैरा 6(xxxi)	अनिर्णीत	
51	पैरा 6(xxxii)	अनिर्णीत	
52	पैरा 6(xxxiii)	निर्णीत	(सरकारी पालिसी अनुसार कार्य ठेके पर दिए जा रहे हैं व अनुबन्ध भी तैयार किए जा रहे हैं)
53	पैरा 6(xxxiv)	निर्णीत	(निर्माण कार्य हेतु विज्ञापन आवष्यक है)
54	पैरा 6(xxxv)	अनिर्णीत	
55	पैरा 6(xxxvi)	अनिर्णीत	
56	पैरा 6(xxxvii)	अनिर्णीत	
57	पैरा 6(xxxviii)	अनिर्णीत	
58	पैरा 6(xxxix)	अनिर्णीत	
59	पैरा 7(i to xii)	अनिर्णीत	
60	पैरा 8(i to iv)	अनिर्णीत	
61	पैरा 9(i)	आंषिक निर्णीत	

पैरों के निरस्तीकरण के समय देखा गया कि कुछ पैरों के ही उत्तर तैयार किए गए थे। उपरोक्त दर्षित अनिर्णीत पैरों के सटिप्पण उत्तर तैयार कर पालना से इस विभाग को अतिषीघ्र सूचित करें।